प्रेषक,

डॉ0 अरुण कुमार यादव,
होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी,
रा0हो0चि0 शोभना बसेढ़ी कौशाम्बी।,

द्वारा– श्रीमान् जिला होम्योपैथी अधिकारी,
कौशाम्बी।

सेवा में,

श्रीमान् निदेशक होम्योपैथी,
लखनऊ उत्तर प्रदेश।

विषयः–वार्षिक स्थानान्तरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

ससम्मान निवेदन है कि प्रार्थी जनपद कौशाम्बी में वर्ष 2015 से रा0हो0चि0 शोभना बसेढ़ी में होम्योपैथी चिकित्साधिकारी के पद पर नियुक्त है। मेरी पत्नी श्रीमती बिन्दू यादव, वर्तमान में **सिविल जज, त्वरित न्यायालय (महिलाओं के विरूद्ध अपराध)**, रामपुर के पद पर कार्यरत है। सम्बन्धित विषय पर पूर्व में भी माननीय आपके यहाँ आवेदन किया गया था तथा स्थानान्तरण सम्बन्धी पोर्टल पर भी मेरे द्वारा आवेदन किया गया था। उसके उपरान्त आपके द्वारा स्थानान्तरण सम्बन्धी सूची जारी की गई, जिसमें मेरा स्थानान्तरण रामपुर में नहीं किया गया। राज्य सरकार द्वारा जारी 2023 की स्थानान्तरण के G.O. में यह नियम दर्शित था कि यदि पति–पत्नी राजकीय सेवा में है, तो उन्हें एक ही जनपद में नियुक्ति प्रदान की जायेगी, किन्तु विभाग द्वारा उक्त G.O. की अवहेलना किया जाना प्रतीत होता है।

माननीय आपको अवगत कराना है कि राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय, जिला अस्पताल, रामपुर में चिकित्साधिकारी का पद रिक्त है, सम्बन्धित विषय पर अविलम्ब आदेश देने की कृपा करें। प्रार्थी अपना यात्रा–भत्ता स्वयं वहन करेगा।

धन्यवाद!

प्रार्थी

(Signature)

(डॉ0 अरुण कुमार यादव)
होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी,
रा0हो0चि0 शोभना बसेढ़ी,
जनपद कौशाम्बी।

दिनांक :– 01.07.2023

(Signatures)

जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी
कौशाम्बी